अत्यधिक जटिल हो गई थी। 2025 के अधिनियम में, छूट संबंधी प्रावधानों को स्पष्टता के लिए छह अलग-अलग अनुसूचियों में पुनर्गठित किया गया है।

प्रासंगिक छूटों को अब उनके संबंधित शीर्षकों के अंतर्गत शामिल किया गया है - उदाहरण के लिए, वेतन संबंधी छूट वेतन प्रावधानों का हिस्सा हैं, और ट्रस्ट संबंधी छूट प्रावधानों को एनपीओ प्रावधानों में शामिल किया गया है।

(v) वेतन प्रावधान

नए आयकर अधिनियम में वेतन संबंधी सभी प्रावधानों को एक ही स्थान पर समेकित कर दिया गया है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 में शामिल ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, पेंशन का कम्यूटेशन, वीआरएस पर मुआवज़ा और छंटनी मुआवज़ा जैसी कटौतियाँ अब आसान संदर्भ के लिए आयकर अधिनियम, 2025 में वेतन मद का हिस्सा होंगी।

4. अनुभागों और शब्द संख्या में कमी की सीमा क्या है?

मीट्रिक	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर अधिनियम, 2025
अध्याय	47	23
धारा	819	536
कुल शब्द गणना (लगभग)	5,12,000	2,60,000
हटाए गए प्रावधान (लगभग)	1,200	—
हटाए गए स्पष्टीकरण (लगभग)	900	—

5. मौजूदा अधिकारों और दायित्वों की सुरक्षा कैसे की जाती है?

2025 अधिनियम की धारा 536 के निरसन और व्यावृत्ति प्रावधानों के अंतर्गत सभी मौजूदा अधिकार और दायित्व पूरी तरह सुरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त, धारा 535 कठिनाइयों को दूर करने हेतु एक तंत्र प्रदान करती है, जिससे नए अधिनियम के सुचारू कार्यान्वयन हेतु निर्देश जारी करना संभव हो पाता है।

6. क्या आयकर अधिनियम, 2025 में धारा संख्या बदल गई है?

हाँ, 1961 के अधिनियम में कई धाराएँ शामिल थीं—उदाहरण के लिए, धाराएँ 115A से 115WM , जिनमें सामान्य आधार संख्या 115 पर आधारित 100 से ज़्यादा धाराएँ शामिल थीं । इससे धारा संख्या प्रणाली जटिल और कभी-कभी भ्रामक हो जाती थी।

इसके विपरीत, आयकर अधिनियम, 2025 एकरूप धारा संख्याओं का उपयोग करके इसे अधिक सरल बनाता है। 536 धाराओं में से प्रत्येक की एक विशिष्ट, स्वतंत्र संख्या होती है, जिससे विस्तारित श्रृंखला की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और स्पष्टता बढ़ जाती है और संदर्भ भी सरल हो जाता है।

7. क्या मूल्यांकन अधिकारी की शक्तियों का विस्तार किया गया है?

नहीं। कर निर्धारण अधिकारी की शक्तियाँ अपरिवर्तित रहेंगी। 2025 का अधिनियम केवल सरलीकरण, कानूनी निश्चितता और प्रक्रियात्मक स्पष्टता पर केंद्रित है। जहाँ परिवर्तन हैं, वे स्पष्टीकरणात्मक हैं और अधिकारों का विस्तार नहीं करते।

8. क्या अंतर्राष्ट्रीय अनुभव पर विचार किया गया?

हां. यूनाइटेड किंगडम, न्यूज़ीलैण्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के कर कानूनों का अध्ययन किया गया। इन देशों ने जहाँ सरल भाषा के माध्यम से सरलीकरण हासिल किया, वहीं उनके कर नियम भी काफी लंबे हो गए। भारतीय दृष्टिकोण सरलता और संक्षिप्तता का संतुलन बनाए रखता है, और उनकी सफलताओं और कमियों, दोनों से सीख लेता है।

9. क्या पुराने और नये खंडों का मानचित्रण उपलब्ध है?

हाँ। आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों को आयकर अधिनियम, 2025 के **संबंधित प्रावधानों से जोड़ने वाली एक संदर्भ तालिका आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध कराई गई है। इस तालिका का उद्देश्य करदाताओं, प्रोफेशनल्स और प्रशासन से जुड़े कार्मिकों को नए कानून के तहत समान प्रावधानों की पहचान करने में सहायता करना है।**

10. आयकर अधिनियम, 2025 की प्रभावी तिथि क्या है?

आयकर अधिनियम, 2025, 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। हालाँकि, आयकर अधिनियम, 1961, 1 अप्रैल 2026 से पहले के कर वर्षों से संबंधित किसी भी कार्यवाही (नोटिस, आकलन, पुनर्मूल्यांकन, सुधार, दंड, संदर्भ, संशोधन और अपील सहित) पर लागू होता रहेगा।

आयकर अधिनियम, 2025 कर वर्ष 2026-27 से लागू होगा, जबकि आयकर अधिनियम, 1961 कर वर्ष 2025-26 और उससे पहले के लिए लागू रहेगा।

11. क्या आयकर नियमों और प्रपत्रों को भी सरल बनाया जाएगा?

हाँ। नियमों और प्रपत्रों का वर्तमान में व्यापक सरलीकरण किया जा रहा है। 1 अप्रैल 2026 को आयकर अधिनियम, 2025 के लागू होने तक, नए सरलीकृत नियम और संशोधित प्रपत्र भी लागू हो जाएँगे, जिससे प्रत्यक्ष कर प्रशासन में अनुपालन में एकरूपता और सुगमता सुनिश्चित होगी।

12. "संवाद" सत्र का क्यूआर कोड:

हितधारकों के लाभ के लिए, 'आयकर अधिनियम, 2025' की ड्राफ्टिंग में शामिल अधिकारी के साथ "संवाद" सत्र के लिंक का क्यूआर कोड नीचे दिया गया है:

संवाद का
क्यू आर कोड

मार्च, 2026

Directorate of Income Tax

(जनसम्पर्क, प्रकाशन और प्रचार)
छठी मंजिल, मयूर भवन, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली – 110001

@incometaxindiaofficial @incometaxindia.official @Income Tax India
@IncomeTaxIndia @Income Tax India Official

अस्वीकरण: इस पुस्तिका को विस्तृत विधिक दस्तावेज के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए, हमेशा अधिनियमों और नियमों में दिए गए सम्बंधित प्रावधान देखें।

www.incometaxindia.gov.in

आयकर विभाग

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

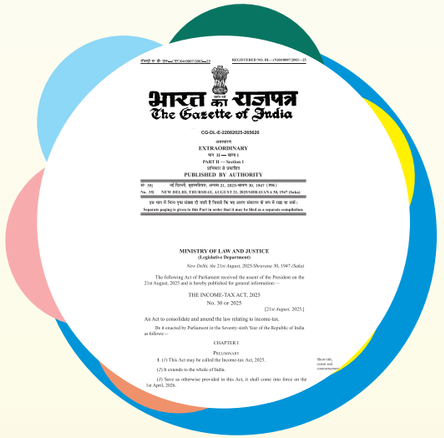

आयकर अधिनियम, 2025 की मुख्य विशेषताएं

स्कैन करें
डाउनलोड करें
और मुस्कुराएं

1. आयकर अधिनियम, 2025 क्यों लाया गया?

आयकर अधिनियम, 1961, जो 1 अप्रैल 1962 को लागू हुआ, में मूल रूप से 298 धाराएं थीं। पिछले छह दशकों में, इसमें क्रमिक वित्त अधिनियमों और 19 विशिष्ट कराधान कानून (संशोधन) विधेयकों के माध्यम से व्यापक संशोधन हुए हैं। परिणामस्वरूप, अधिनियम में अनेक प्रावधानों और स्पष्टीकरणों के साथ 819 धाराएँ और शामिल हो गईं।

आयकर अधिनियम, 1961 की भाषा लगातार कठिन और कानूनी शब्दावली से जटिल होती गई, जिसे केवल कानून की गहरी समझ रखने वाले लोग जैसे वकील, न्यायाधीश और सनदि लेखाकार ही समझ सकते थे। इस अधिनियम में नए प्रावधानों के जुड़ने के साथ-साथ कई पुराने प्रावधानों को बरकरार रखा गया, जिससे अधिनियम बेहद भारी और समझने में मुश्किल हो गया। नए-नए संशोधनों, अतिव्यापी और अनावश्यक प्रावधानों ने इसकी संरचना को और जटिल बना दिया था।

आयकर कानून को और अधिक संक्षिप्त एवं समझने में आसान बनाने के लिए, माननीय वित्त मंत्री ने 23 जुलाई 2024 को अपने बजट भाषण के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 की छः महीने के लक्ष्य के साथ व्यापक समीक्षा की घोषणा की। इसका उद्देश्य कर संबंधी बेहतर निश्चितता प्रदान करना, विवादों और मुकदमों को कम करना और कानूनों को सरल बनाना था। परिणामतः, नए आयकर अधिनियम, 2025 का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुई ।

2. क्या आयकर अधिनियम, 2025 में कोई नीतिगत परिवर्तन किया गया है?

आयकर अधिनियम, 2025 में कोई बड़ा नीतिगत परिवर्तन नहीं किया गया है। पिछले दशक में पहले ही महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार और कर दरों के सरलीकरण किए जा चुके हैं, जिसके कारण नए कानूनों में निरंतरता बनाए रखना आवश्यक था।

आयकर अधिनियम, 1961 में स्थानांतरण मूल्य निर्धारण नियम, अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते (APA), सामान्य कर-परिहार-रोधी नियम (GAAR), प्रभावी प्रबंधन का स्थान (POEM), पहचान-रहित मूल्यांकन और पहचान-रहित अपील जैसे प्रमुख सुधार किए गए। प्रमुख क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए

विभिन्न प्रोत्साहन प्रावधान भी शामिल किए गए, जैसे निर्यात के लिए धारा 80HHC, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए धारा 80IA, सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए धारा 10A, 10AA और 80HHE, और स्टार्ट-अप के लिए धारा 80IAC.

सरलीकरण प्रक्रिया का उद्देश्य नये नीतिगत परिवर्तन लाना नहीं था, बल्कि मौजूदा प्रावधानों को सुव्यवस्थित, समेकित तथा कानूनी भाषा को सरल बनाना था।

3. आयकर अधिनियम, 2025 में क्या प्रमुख परिवर्तन किए गए हैं?

3.1 'कर वर्ष' के कंसेप्ट का परिचय

आयकर अधिनियम, 1961 में **पूर्व वर्ष** और कर **निर्धारण वर्ष** शब्दों का प्रयोग किया जाता था, जहाँ किसी विशेष वर्ष (पूर्व वर्ष) की आय पर अगले वर्ष (कर निर्धारण वर्ष) में कर लगाया जाता था। यदि खास तौर पर अंतरराष्ट्रीय कराधान से तुलना की जाए, इससे करदाताओं के लिए भ्रम की स्थिति पैदा होती थी।

इस अस्पष्टता को दूर करने के लिए, आयकर अधिनियम, 2025 में दोहरी शब्दावली के स्थान पर **'कर वर्ष' नामक एक एकल कराधान इकाई** लागू की गई है । यह भारतीय कर प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप बनाता है और घरेलू तथा विदेशी, दोनों हितधारकों के लिए सरल बनाता है।

3.2 प्रावधानों और स्पष्टीकरणों को हटाया गया

आयकर अधिनियम, 1961 अनेक प्रावधानों और स्पष्टीकरणों से भरा हुआ था, जिससे इसकी व्याख्या जटिल हो गई थी। उदाहरण के लिए, धारा 10(23सी) में 20 प्रावधान थे, जिनमें तीसरे प्रावधान के अंतर्गत सात स्पष्टीकरण और दूसरे प्रावधान के अंदर आठ प्रावधान थे।

नए अधिनियम की संरचना को सरल बनाने के लिए, इन प्रावधानों और स्पष्टीकरणों को उप-अनुभागों से बदल दिया गया है। इससे इस अधिनियम में विखंडन कम हुआ है, जिससे अत्यधिक संदर्भों की आवश्यकता नहीं होती, और प्रावधान तार्किक रूप से संरचित, पढ़ने में आसान और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनते हैं। नए अधिनियम में लगभग 1,200 प्रावधानों और 900 स्पष्टीकरणों को हटा दिया गया है और उप-धाराओं, खंडों आदि द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

3.3 तालिकाओं और सूत्रों का उपयोग

कर गणना में अक्सर विस्तृत गणनाएँ शामिल होती हैं, जो लिखित रूप में बहुत लंबी हो जाती हैं और गलत व्याख्या की आशंका बढ़ जाती है। इसे सरल बनाने के लिए:

- विभिन्न गणनाओं के लिए **सूत्र प्रस्तुत किए गए हैं।**
- अनुपालन तिथियों, देय तिथियों, टीडीएस दरों और अन्य आंकड़ों को आसान संदर्भ के लिए प्रस्तुत करने हेतु **तालिकाओं का उपयोग किया गया है।**

इससे करदाताओं, पेशेवरों और प्रशासकों के लिए कर संबंधी कानून अधिक सुलभ और व्यावहारिक हुए हैं ।

3.4 कानूनी शब्दावली में बदलाव

सामान्य रूप से प्रयुक्त कानूनी शब्द **'notwithstanding' , जो एक वैधानिक अधिरोहण के रूप में प्रयोग किया जाता था,** को व्याख्यात्मक अर्थ में परिवर्तन किए बिना सरल शब्द **'irrespective of' के साथ बदल दिया गया है।**

3.5 संदर्भ देने के तरीके में सरलीकरण

आयकर अधिनियम, 1961 में "धारा 133 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (ii)" जैसे संदर्भों का उपयोग किया गया था। इसे अब धारा 133(1)(ख)(ii) के रूप में लिखा गया है, जिससे यह अधिक सरल और पठनीय हो गया है।

3.6 प्रक्रियात्मक प्रावधानों का नियमों के रूप में बदलाव

यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिनियम मूल कानून पर केंद्रित रहे, अपेक्षाकृत मामूली प्रक्रियात्मक प्रावधानों को नियमों में स्थानांतरित कर दिया गया है । प्रक्रियात्मक मामले, जिनके लिए संसदीय संशोधनों जैसी कठिन प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती, अधीनस्थ विधानों के लिए कारगर हैं, जहाँ उन्हें बदलती परिस्थितियों के अनुसार अधिक लचीला बनाया और कुशलतापूर्वक अद्यतन किया जा सकता है।

इसके अलावा, कर वसूली की प्रक्रिया से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची को अब नियमों में शामिल कर दिया गया है, क्योंकि यह पूरी तरह से प्रक्रियात्मक मैकेनिज़्म से संबंधित है।

3.7 पुनर्गठन और पुनर्संगठन

(i) गैर-लाभकारी संगठन (एनपीओ)

एनपीओ से संबंधित प्रावधान, जो पहले कई अध्यायों में बिखरे हुए थे, को अध्याय XVII के भाग बी में समेकित किया गया है जिसका शीर्षक है "पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठनों के लिए विशेष प्रावधान" , जिसमें सात उप-भाग शामिल हैं।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23सी) और 80जी में प्रयुक्त 'अनुमोदन' तथा धारा 12एए/12एबी में प्रयुक्त 'पंजीकरण' जैसी शब्दावली को नए अधिनियम में **'पंजीकरण' शब्द के अंतर्गत एकीकृत कर दिया गया है।**

(ii) एनपीओ के लिए अम्ब्रेला टर्म

1961 के अधिनियम में प्रयुक्त शब्द जैसे चेरीटेबल ट्रस्ट , धार्मिक ट्रस्ट , शैक्षणिक संस्थान , अस्पताल आदि को स्पष्टता और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए एक ही शब्द **पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन से प्रतिस्थापित किया गया है।**

(iii) टीडीएस/टीसीएस के लिए प्रावधान

1961 के अधिनियम में टीडीएस/टीसीएस से संबंधित 65 धाराएँ थीं। अब 2025 के अधिनियम में इन्हें 13 धाराओं में समेकित कर दिया गया है।

- टीडीएस प्रावधानों को धारा 393 की संरचित तालिकाओं में भुगतानकर्ता श्रेणियों अर्थात् 'निवासी', 'गैर-निवासी' और 'कोई भी व्यक्ति' के आधार पर व्यवस्थित किया गया है।
- धारा 392 विशेष रूप से वेतन टीडीएस से संबंधित है।
- धारा 394 टीसीएस को कवर करती है।
- टीडीएस से छूट धारा 393 की उपधारा (4) से (9) के अंतर्गत समेकित की गई है।

इस समेकन से लिखे हुए प्रावधानों की स्पष्टता बढ़ती है और दोहराव कम होता है।

(iv) छूट का प्रावधान

1961 के अधिनियम की धारा 10, जो छूट से संबंधित थी, लगभग 140 खंडों, 90 स्पष्टीकरणों और 134 प्रावधानों के साथ